कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/वो–2/2021 दिनांक 30.09.2021 द्वारा मीनू चतुर्वेदी, प्रधानाचार्य, राउमावि हाथीखेड़ा, श्रीनगर जिला अजमेर का स्थानान्तरण राउमावि रलायता जिला भीलवाड़ा किया गया था जिसके विरूद्ध मीनू चतुर्वेदी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 6263/2021 मीनू चतुर्वेदी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए दो सप्ताह के भीतर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन प्राप्ति के 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान से पुरस्कृत होने एवं अपने ससुर के लकवाग्रस्त होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि खोरी, पीसांगन जिला अजमेर/राउमावि ढाणी पुरोहितान, अजमेर/राउमावि तिहारी, ब्यावर, अजमेर अथवा राउमावि पटेल, ब्यावर जिला अजमेर में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो पूर्व के समस्त दिशा निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी किये गए हैं, में माता–पिता/पति–पत्नी/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर उन्हें योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए समीपवर्ती भीलवाड़ा जिले में ही किया गया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। अपीलार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। उक्तानुसार अपीलार्थी मीनू चतुर्वेदी द्वारा वांछित अनुतोष देय नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/मीनू चतुर्वेदी/6263/2021 **दिनांकः** 31/01/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा/अजमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक भीलवाड़ा/अजमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती मीनू चतुर्वेदी, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि रलायता जिला भीलवाड़ा।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

31
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)